# जिंदगियों की कीमत

## मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दल की पाँच छत्तीसगढ़ में अपृहित पुलिसवालों को जनवरी – फरवरी 2011 में छुड़वाये जाने और अपहरण से संबंधित मुद्दों के बारे में रिपोर्ट

सर्व धर्म संसद
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिस
पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स, दिल्ली
की एक साझा रिपोर्ट
मार्च 2011

**''हमाारी ज़िदगियों की कीमत खतम कर दिए गए चूज़े  से भी कमतर है''**

**(बंधकों की रिहाई के समय एक स्थानीय व्यक्ति का कथन)**

**छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूजमाड के जंगलों में आदिवासियों की इज़्ज़त, आत्म निर्भरता और स्वतंत्रता के संघर्ष की अनकही कहानियाँ**

---

# भूमिका

छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के घने जंगलों के भीतर 11 फरवरी 2011 को बहुत गहरे राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व की एक घटना घटी। इस दिन सीपीआई (माओवादी) ने मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं और मीडिया के चुनिंदा सदस्यों के सामने छत्तीसगढ़ पुलिस के पाँच जवानों को रिहा किया। सीपीआई (माओवादी) ने 25 जनवरी 2011 को इन पुलिसवालों का अपहरण किया था। यह घटना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि माओवादियों ने पुलिसवालों को बिना शर्त्त रिहा किया। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि माओवादियों ने पूरे देश भर के मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं की माँगों पर सकारात्मक कदम उठाया। इन मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं ने अपहरण की राजनीति पर सवाल उठाया था तथा बंधक–पुलिसकर्मियों की रिहाई की माँग की थी। ऐसा लगता है कि माओवादियों ने मानवाधिकार समूहों के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि माओवादियों को छत्तीसगढ़ राज्य से इस तरह की किसी कार्रवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए और उन्हें बंधकों को रिहा करके मानवाधिकारओं के प्रति अपनी वचनबद्धता ज़ाहिर करनी चाहिए। माओवादियों की एकमात्र शर्त्त यह थी कि वे बंधकों को पुलिस या राज्य की किसी ऐजेंसी के सामने नहीं, बल्कि मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं की समिति के सामने रिहा करेंगे। 9 फरवरी को उन्होंने टीम को यह सूचना दी कि वे 11 फरवरी को नियत स्थान पर पहुँच जाएँ। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे बंधकों को रिहा कर देंगे।

माओवादियों की इस पेशकश के बाद मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं की एक टीम अबूझमाड़ इलाके के जंगलों के लिए रवाना हुई। इस टीम में सामाजिक कार्यकर्त्ता स्वामी अग्निवेश, सर्वधर्म संसद के मनु सिंह, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर) के गौतम नौलखा और हरीश धवन तथा पीपुल्स यूनियन पफॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की कविता श्रीवास्तव और वी. सुरेश शामिल थे। रास्ते में टीम के सदस्य बंधक बनाए गए पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों से भी मिले। ये लोग भी अबूझमाड़ के जंगलों में जा रही मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं की टीम के साथ हो लिए। इसके अलावा, इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया – दोनों से जुड़े पत्रकारों का एक दल भी इस टीम के साथ जुड़ गया।

प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा हम सिर्फ घटनाओं का रिकार्ड रखने के लिए अपने अनुभवों को दर्ज नहीं करना चाहते हैं। दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम के साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जुड़े हुए हैं और दुर्भाग्यवश मीडिया या सार्वजनिक विचार–विमर्श में इन मुद्दों को बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिली है। ये मुद्दे निम्नलिखित तथ्यों से जुड़े हुए हैं:

(1) बंधक–पुलिसकर्मियों को बिना शर्त रिहा किया गया और इस कदम को इस बात से नहीं जोड़ा गया कि सरकार ने माओवादियों की माँगों पर कोई सकारात्मक रुख अपनाया या नहीं।

(2) माओवादियों ने केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई औद्योगीकरण और विकास नीतियों जैसे व्यापक मुद्दों के बारे में सवाल खड़े किये। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह की नीतियों के कारण कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा मिल रहा है : ज़मीन, खनिज, पानी जैसे सामान्य संसाधनों पर कॉरपोरेट जगत का कब्जा होते जाने के कारण स्थानीय लोगों और खासतौर पर आदिवासियों को अपने परियावरण को छोड़ना पड़ रहा है; इस पूरी प्रक्रिया में राज्य की ऐजेंसियों और कॉरपोरेट जगत के बीच का गठजोड़ उजागर हुआ है; माओवादी आंदोलन को खतम करने के नाम पर इन इलाकों में व्यापक स्तर पर सैन्यीकरण कर दिया गया है। माओवादियों ने यह संकेत किया कि भविष्य की उनकी कार्रवाई इन मुद्दों के आस–पास केन्द्रित रहेगी।

उन्होंने दूसरे मानवाधिकार समूहों से भी यह आह्वान किया कि वे इन मुद्दों की ओर घ्यान दें। उन्होंने इन मुद्दों पर ज़्यादा गहन सार्वजनिक वाद–विवाद कराने की माँग की।

(3) माओवादियों ने स्थानीय लोगों के बुरे हालातों और खासतौर पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक शक्तियों और नागरिक समूहों का आह्वान किया कि वे कानून के शासन और मानवाधिकारों के मानकों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करें।

इस संदर्भ में यह बात उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में बंघक बनाए गए पुलिसकर्मियों की रिहाई के तुरन्त बाद ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा में मलकानगिरी जिले के कलेक्टर आईएएस अधिकारी मुरली कृष्णा का अपहरण कर लिया गया। दोनों घटनाओं में काफी समानता थी। उड़ीसा में भी माओवादियों ने आदिवासियों पर बुरा प्रभाव डालने वाली की अतीत की विकास योजनाओं पर सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान में चल रही औद्योगीकरण की योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल, ये माँगें बदलती हुई राजनीतिक सोच का प्रमाण हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस कारण छत्तीसगढ़ के अनुभव का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।

इस रिपोर्ट का मुख्य मकसद छत्तीसगढ़ में बंघकों की रिहाई से संबंघित घटनाओं को सामने लाना ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा हम बस्तर और अबूझबाड़ के अंदरूनी इलाकों के आम आदिवासियों की पीड़ा और अनसुनी आवाजों को ज़्यादा–से–ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये आदिवासी सुरक्षा बलों के अत्याचारों का शिकार हुए हैं और पूरे भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं।

## प्रस्तावना

25 जनवरी 2011 को सीपीआई (माओवादी) के कैडरों के एक समूह ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कोंगरा गाँव के नज़दीक एक बस से पाँच पुलिस वालों को अगवा कर लिया। जिन पुलिसकर्मियों का अपहरण किया गया उनमें से दो – यानी रंजन दुबे और मणि शंकर दुबे कांस्टेबल थे। बाकी तीन पुलिसकर्मी हेड–कांस्टेबल थे। इनके नाम थे तारसुस एक्का, रामाघार पटेल और रघुनंदन घ्रुव। कुछ दिनों के बाद सीपीआई (माओवादी) ने बंघकों की रिहाई के लिए अपनी ग्यारह सूत्रीय माँगें पेश कीं। उनकी माँगें इस प्रकार थीं :

1. आस–पड़ोस के गाँवों में लोगों के साथ मार–पीट, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, आगजनी और घरों को तहस–नहस करने जैसी घटनाओं और उनके कारण कायम आतंक के राज पर तुरंत रोक लगे। कोंगरा गाँव से दस लोगों और वेड्डेनॉड गाँव से दस लोगों को बिना वजह गिरफ्तार किया गया।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूलों को खाली करने संबंघी दिए गए आदेश का पालन किया जाए ताकि स्कूलों का उपयोग स्कूलों के रूप में हो सके।
3. नकली मुठभेड़ों पर रोक लगाई जाए। नारायणपुर जिले के निबरा गाँव के निवासी सनाउ सालम की 21 अक्टूबर को हुई हत्या की न्यायिक जाँच हो।
4. गाँव के लोगों को मनमाने तरीके से गिरफ्तार किए जाने पर रोक लगे और इस तरह गिरफ्तार किए गए आम गाँववासियों की तुरंत रिहा किया जाए।
5. गाँवों को तहस–नहस करने, घरों का जलाने, फसलों को बर्बाद कर देने और पशुओं की हत्या और लूट पर रोक लगे। इस तरह की घटनाओं का शिकार हुए लोगों को मुआवज़ा दिया जाए।
6. गाँव के लोगों को आतंकित करने के लिए किए जाने वाले गश्त अभियानों पर रोक लगे।
7. दंडकारण्य से सेना को हटाया जाए।
8. लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे अन्यायी ऑपरेशन ग्रीन हंट को बंद किया जाए।
9. राज्य से अर्द्धसैनिक और विशेष पुलिस बलों को हटाया जाए।
10. जनसंहार, महिलाओं के बलात्कार और गाँवों को तहस–नहस करने के लिए ज़िम्मेदार पुलिस और सुरक्षा बलों के सदस्यों को सजा दी जाए।
11. आदिवासी इलाकों में कॉरपोरेट जगत के साथ

किए गए सहमति पत्रों (एमओयू) को रद्द किया जाए।

सरकार ने इनमें से किसी भी माँग के बारे में विचार करने के संबंध में कोई भी आश्वासन नहीं दिया। प्रेस में यह रिपोर्ट आई कि मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि यदि बंघकों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया तो इन माँगों पर विचार किया जाएगा। इस तरह का अड़ियल रवैया अख्तियार करने के बाद सरकार शांत पड़ गई और इसने बंघकों को उनकी नियति पर छोड़ दिया। सरकार ने गतिरोघ को खत्म करने के लिए या बंदी बनाए गए पुलिसकर्मियों को रिहा कराने के लिए अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाया।

अपहरण के बाद जैसे–जैसे दिन बीतते गए, वैसे–वैसे बंघक पुलिसकर्मियों के परिवार वालों – उनकी पत्नियों, बच्चों, माता–पिता और सगे–संबंघियों की बेचैनी बढ़ती गई। प्रशासन ने इन परिवारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इन लोगों की बेचैनी और अंतहीन परेशानी को दूर करने के लिए कभी भी यह आश्वासन नहीं दिया गया कि सरकार बंघाकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। मीडिया में यह खबर आई कि बंघक पुलिसकर्मियों के सगे–संबंघी जिले में यूं ही भटक रहे हैं और किसी भी तरह से किसी ऐसे व्यक्मित की तलाश कर रहे हैं जो ज़रूरत के इस समय में उनकी मदद कर सके।

मीडियाकर्मियों, मानवाघिकार कार्यकर्त्ताओं और राजनीतिक समूहों के बीच सरकार का यह रवैया चर्चा का विषय बना रहा कि सरकार अपहरण करने वालों से किसी भी तरह के समझौते के लिए बातचीत नहीं करेगी। निजी बातचीत में यह सवाल बार–बार सामने आया कि क्या सरकार द्वारा इस तरह का रवैया अपनाने का मुख्य कारण यह है कि अगवा किए गए लोग पुलिस विभाग के निचले स्तर पर काम करने वाले लोग यानी कांस्टेबल हैं। इस तरह की बातचीत में यह सवाल भी सामने आया कि यदि केन्द्रीय सेवा का कोई वरिष्ठ अधिकारी अगवा होता, तो क्या तब भी सरकार इसी तरह का रवैया अपनाती। लेकिन समय बीतते जाने और बंघक समस्या का कोई हल न होने के कारण दबाव बढ़ता चला गया और इस कारण इस मुद्दे को हल करने के लिए दूसरे तरह की पहल होने लगीं।

हम ज़ोर देकर यह कहना चाहते हैं कि अगवा किए गए व्यक्ति के साघारण पुलिसकर्मी या ऊँचे अफ़सर होने और सरकार के रवैये के बीच के संबंघ के बारे में हमारे विचार मनगढ़ंत घारणाओं पर आघारित नहीं हैं। अपनी यात्रा के दौरान टीम जिन लोगों से मिली, उनमें से बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया।

## बंघकों की रिहाई

सीपीआई (माओवादी) पार्टी ने नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अघिकार संगठनों से संपर्क किया और उन्होंने बंघकों को रिहा करने की इच्छा ज़ाहिर की। उन्होंने इसके लिए सिर्फ यह शर्त रखी कि वह बंघकों को मीडिया की उपस्थिति में इन संगठनों के प्रतिनिघियों को सौंपेगी। पार्टी ने बताया कि उसने एक जन–अदालत में इन पुलिसकर्मियों के मामले पर सुनवाई की और उसे इनके खिलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं मिले।

11 फरवरी 2011 को टीम सुनिश्चित स्थान पर पहुँच गई। जैसा कि पहले बताया गया है, टीम के साथ बंघक पुलिसकर्मियों के परिवारों के सदस्य और अखबारों तथा टीवी चैनलों के बहुत सारे प्रतिनिघि भी थे। माओवादियों ने कुछ दिन पहले स्वामी अग्निवेश से संपर्क किया था। इसके बाद स्वामी अग्निवेश ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात की और उन्होंने पुलिसकर्मियों की सुरक्षित रिहाई के लिए मध्यस्थता करने का प्रस्ताव किया। लेकिन उन्होंने यह शर्त भी रखी कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से यह वायदा करें कि (1) अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बल 48 घंटे का युद्धविराम रखेंगे और (2) सुनिश्चित स्थान तक पहुँचने के लिए टीम को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से घूमने दिया जाएगा। यह देखते हुए कि इस रास्ते में सीआपीएफ के बहुत ज़्यादा जवान मौजूद हैं, स्वामी अग्निवेश ने केन्द्रीय गृह सचिव से भी बात की और उनसे भी यही

आश्वासन माँगा। राज्य और केन्द्र सरकार की सहमति मिल जाने के बाद ही मानवाधिकार समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली यह टीम इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हुई।

टीम सुनिश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए गाँवों और जंगली क्षेत्रों से होकर गुज़री। यह यात्रा बहुत ही जोखिम भरी और रोचक थी। हमें जगदलपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर जाना था। हमने सुबह 7 बजे अपनी यात्रा शुरू की और हम दोपहर में तकरीबन 3.30 मिनट पर कादीनार के जंगली इलाके में पहुँचे बहुत जगहों पर हमें गलत रास्ता बताया गया और कई बार हम रास्ते से भटक भी गए। लेकिन इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमें एक भी जवान गश्त लगता हुआ नहीं दिखा। अमूमन इस इलाके में सड़कों पर बहुत सारे जवान गश्त लगाते रहते हैं। लेकिन हमारी यात्रा के दौरान वे सभी लोग अपने बैरकों में थे और दोनों ही पक्षों की बंदूकें बिल्कुल खामोश थीं। चौबीस घंटे के जिस युद्ध–विराम का वायदा किया गया था, उसका प्रभाव ज़मीनस्तर पर दिख रहा था। बाद में हमें यह बताया गया कि यह युद्ध–विराम 48 घंटों से ज़्यादा समय तक चला।

अबूझमाड़ के घने जंगलों में तकरीबन 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम उस गाँव में पहुँचे जहाँ पाँच बंघकों की रिहाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

## बंघकों की रिहाई का कार्यक्रम

बंघकों को टीम को सौंपने का वास्तविक कार्यक्रम गाँव के अंदरूनी इलाके में हुआ। हमें यह बताया गया कि आस–पड़ोस के गाँवों से लोग लंबी यात्राएँ करके आए हैं और वे सुबह से ही यहाँ पहुँच चुके हैं। ये लोग मानवाधिकार समूहों के प्रतिनिधियों और मीडिया को यह बताना चाहते थे कि पुलिस की गश्त/छान–बीन की कार्रवाईयों के दौरान उन्हें किस तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के अत्याचारों में गाँव के लोगों के साथ बदसूलकी और मारपीट, उनकी संपत्ति, फसल और पशुधन की लूटपाट, लोगों को बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने से लेकर उनकी हत्या करने तक के मामले शामिल थे। हम जब गाँव पहुँचे तो वहाँ एक हज़ार से ज़्यादा लोग मौजूद थे।

बाहर से आए सभी लोगों का 'सलामी' के साथ स्वागत किया गया, जिसके तहत 30 से 40 यूनीफॉर्म पहले युवा पुरूषों और महिलाओं ने हाथ मिलाकर टीम के सदस्यों का अभिवादन किया। इन युवाओं की उम्र पच्चीस साल से कम थी। वे एक लाइन में खड़े थे। यद्यपि लोग पिछले चार घंटे से हमारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमने यह महसूस किया कि वहाँ का माहौल खुशनुमा है।

कार्यक्रम का संचालन करने वाली माओवादी नेता ने अपना परिचय नीति के रूप में दिया। शुरूआती बातचीत के बाद उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। नीति ने यह कहा कि 'हमारे लिए बिना शर्त रिहाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि हमारा लक्ष्य एक 'शोषण–मुक्त समाज' बनाना है, इसलिए हम ऐसे लोगों को बंघक बना कर नहीं रख सकते हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की हैं। जब हमारी जन–अदालत ने इन जवानों को बेकसूर पाया तो हमने 30 जनवरी को ही यह पोस्टर लगा दिया था कि सरकार के नुमाइंदे आएं और इन्हें ले जाएं। लेकिन कोई भी नहीं आया। इसलिए हमने आप सबके आने का इंतज़ार किया। हमें खुशी है कि स्वामी जी, गौतम नौलखा और बाकी दूसरे लोग यहाँ आए हैं। हम मीडिया के सभी लोगों और बंघक बनाए गए लोगों के सगे–सबंधियों का भी स्वागत करते हैं।'

इसके बाद नीति ने हम सब की मौजूदगी में सभी पुलिसकर्मियों को उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया। इस समय माता, पिता और पुत्र, तथा भाई और बहन के एक दूसरे से मिलने का भावुक दृश्य सामने आया। इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग इन लोगों को कैमरे में कैद करने के लिए उतावले हो गए। बंघक बनाए गए पुलिसकर्मियों ने कैमरे के सामने अपने अनुभव बताए।

## बंघकों के अपने शब्दों में उनके अनुभव

**तरसुस एक्का**: शुरूआती कुछ दिन बहुत ही मुश्किल थे। हमें यह पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। शुरू में हमें एक बंद जगह पर रखा गया था और जब हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था तो हमारी आँखों पर पट्टी बाँधी जाती थी। कई बार हमारी हाथों को भी बाँध दिया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद ही ऐसा करना बंद कर दिया गया। इसके बाद हमें यह आश्वासन दिया गया कि हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा और हमारी जिंदगी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया गया। हमें परिवार के सदस्यों की तरह रखा गया। हमें अच्छा खाना मिलता था और हमारी अच्छी तरह से देखभाल भी की गई। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे पास कोई ज़मीन या संपत्ति नहीं है और इसलिए अपने परिवार का गुज़ारा करने के लिए पुलिस फोर्स में शामिल हुआ था।

**राम आघार पटेल**: मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे चार बच्चे हैं। इसलिए अपनी परिवारिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मैं पुलिस में शामिल हुआ था। हमें यहाँ बहुत अच्छी तरह से रखा गया और हमारी ज़रूरतों को पूरा किया गया। हमेशा हमारे साथ कोई–न–कोई व्यक्ति रहता था और वह यह पूछता था कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैं अपनी रिहाई के लिए बहुत ही आभारी हूँ।

**मणि शंकर दुबे**: हम दो भाई और एक बहन हैं। हमारा परिवार बहुत ही गरीब है। जब हमारा अपहरण किया गया उस समय मैं अपने किसी व्यक्तिगत काम से नारायणपुर जा रहा था। शुरू में मैं बहुत डर गया था। मेरे मन में यह बात बैठी हुई थी कि ये नक्सलवादी हिंसक लोग हैं और ये हमें नुकसान पहुँचाएँगे। लेकिन इसके विपरीत इन्होंने हमें अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखा। हमारी अच्छी तरह देखभाल करने के लिए मैं हर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी रिहाई के लिए मैं नक्सलवादियों और आप सभी लोगों का आभारी हूँ।

**रघुनंदन ध्रुव**: मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ जिसमें कुल तेईस सदस्य हैं। हमारे गुजारे का एकमात्र साघन आठ एकड़ ज़मीन का टुकड़ा है। मैंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। इसलिए मैं पुलिस में शामिल हो गया। 25 तारीख को बस में से हमें बंघक बना लिया गया। उस समय मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। दो दिनों तक हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। मैं सचमुच बहुत डर गया था कि अब मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। लेकिन इस मानवीय व्यवहार ने मुझे सच में हैरत में डाल दिया है। हमें खाने, पीने और सोने की तमाम सुविघाएँ दी गईं। कुछ दिनों के बाद नक्सलवादियों ने हमारे भीतर यह भरोसा पैदा करने की कोशिश की कि हमारी रिहाई के लिए लोग आएँगे।

**राजन दुबे**: 25 जनवरी को अपनी सालाना छुट्टियाँ मनाने के लिए मैं बस से घर जा रहा था। मेरी तबियत ठीक नहीं थी। जब हमें बंघक बनाया तो मुझे डर नहीं लगा लेकिन मुझे यह बहुत अजीब लगा। जिस तरह हमारी देखभाल की गई, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। मेरी तबियत ठीक नहीं थी और मैं जानता हूँ कि मेरी अच्छी तरह से तिमारदारी की गई। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले आप सभी लोगों के द्वारा हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि गरीब लोग सचमुच पूरी तरह से उपेक्षित हैं। सरकार को इन गरीब लोगों की स्थिति पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बंघक बनाने के कुछ दिनों बाद ही हमें यह आश्वासन दे दिया गया था कि हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अठारह दिनों तक हमारी अच्छी तरह से देखभाल की गई। आखिरी कुछ दिनों में हमें रेडियो भी सुनने दिया गया जिससे हमें आप लोगों के आने की जानकारी मिली। हमने बीबीसी में यह सुना कि आप लोग दिल्ली से चलकर रायपुर पहुँच चुके हैं।

आज के दिन मुझे एक नई जिंदगी मिली है। मैं आप सब लोगों का इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ आए और मेरी माँ और बहन को भी अपने साथ लेकर आए।

इसके बाद सगे–संबंघियों को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। पुलिसकर्मियों के माता–पिता ने उनकी सुरक्षित रिहाई की तारीफ की। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वे अपने बच्चों से नहीं मिल थे तब तक उन्हें इनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा

चिंता थी। उन्होंने अपनी उस मानसिक पीड़ा और निराशा का भी वर्णन किया कि कैसे उन्हें यह पता नहीं था कि अपने परिवार के इन पुलिसकर्मियों की रिहाई के लिए किसके पास जाएं और इन्हें रिहा करने की अपनी प्रार्थना माओवादियों तक कैसे पहुँचाएं।

पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के पुनर्मिलन के बाद कार्यक्रम का जो अगला भाग हुआ उसके लिए टीम और मीडिया के लोग तैयार नहीं थे। यह गाँव के लोगों और माओवादियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने जैसा था। आगे इस बातचीत से सामने आने वाले तथ्यों का विवरण दिया गया है।

## गाँववासियों की गवाही: 'क्या आप हमारी पीड़ा जानना चाहते हैं?'

पुलिसकर्मियों को सौंपे जाने के बाद हर किसी ने यह सोचा कि अब कार्यक्रम खत्म हो गया। लेकिन उसी समय एक घोषणा हुई जिसमें मानवाधिकार समूहों और मीडिया के सदस्यों को आस–पास के गाँवों के लोगों से मिलने के लिए बुलाया गया।

दरअसल, कार्यक्रम का यह भाग पूरी तरह से अप्रत्याशित था। इसमें आदिवासियों ने सुरक्षा बलों द्वारा अपने खिलाफ हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गवाही दी। आदिवासियों ने अपने विवरणों में अपनी आपबीती सुनाई जो कि बहुत ही दुखद और हिला देने वाली थी। इससे यह बात सामने आई कि सुरक्षा बल सिर्फ जाँच–पड़ताल के दौरान ही आदिवासियों पर अत्याचार नहीं करते बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी में, बाज़ार या स्कूल जैसी जगहों पर भी लोगों को सुरक्षा बलों के दमन का सामना करना पड़ता है।

अपने विचार व्यक्त करने वाले बहुत सारे लोगों ने यह स्पष्ट किया कि वे माओवादी या माओवादियों के समर्थक नहीं हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें माओवादी या माओवादियों का समर्थक बताकर प्रताड़ित किया। एक के बाद एक आदिवासी ने यह बात दुहराई कि सुरक्षा बलों द्वारा एक बार पकड़ लिए जाने के बाद कसी भी तरह के स्पष्टीकरण या बातचीत की कोई संभावना नहीं रहती। सुरक्षा बल उनके इस सवाल का भी जवाब नहीं देते कि आखिर उन्हें किस लिए पकड़ा गया है। असल में, यह ऐसे मजबूर लोगों की दुखद कहानी थी जिनका सामना क्रूर प्रशासन और अन्यायी व्यवस्था से होता है और जिन्हें कानून या न्यायपालिका से भी कोई मदद नहीं मिलती है। यह इलाका का बृहद आकार, आने जाने की सुविधाओं का अभाव और गरीबी किसी भी तरह की न्यायिक या अन्य तरह की मदद तक इनकी पहुँच को असंभव बना देती है। इ अगर ये किसी तरह अदालत तक पहुँच भी जाएं तो लंबी और खर्चीली अदालती प्रक्रिया का बोझ सहना इनके बूते के बाहर की चीज़ है।

इससे भी बुरी बात यह है कि उन्हें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा लगातार शक की निगाह से देखा जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि मानो इस इलाके का हर आदिवासी माओवादियों का समर्थक या माओवादी ही हो। मीडिया द्वारा भी इनकी स्थिति और इनके सवालों पर हमदर्दी से विचार नहीं किया जाता।

दरअसल, ये आदिवासी निरक्षर हैं और ये आधुनिक कानून, प्रशासन या मीडिया की पेचिदगियों को समझने में समर्थ नहीं हैं। लगातार अपने परिवार के सदस्यों और दूसरे नज़दीकी लोगों को हिरासत में लिए जाते हुए देखने और अन्य परेशानियों के संबंध में इन्हें नहीं मालूम कि क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में इन लोगों ने बस एक सीधी सी प्रार्थना की कि 'कृपया हमारी कहानी शेष भारत के लोगों को सुनाइए।'

कार्यक्रम के इस दूसरे हिस्से में आस–पास के गाँवों से आए लोगों ने मनमाने ढंग से ही जा रही गिरफ्तारियों, लूट, बलात्कार और डर तथा आतंक के माहौल के बारे में अपनी–अपनी कहानियाँ बताईं। एक के बाद एक असंख्य गाँवों के आदिवासी स्त्री, पुरूष और बच्चे माइक पर आए और उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों के अत्याचारों के बारे में बताया। आपबीती बताने वाले लोगों ने टीम को सुरक्षा बलों द्वारा नियमित

गश्त के दौरान लूटे गए घर के सामानों, मुर्गे–मुर्गियों और दूसरे जानवरों की सूची भी सौंपी। आगे ऐसी ही एक घटना का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज़ कराई गई थी। हमारी जानकारी के अनुसार, इस शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

गिरफ्तारी, लूट आदि की शिकायत

27 दिसम्बर 2010 को पुलिस का गश्ती दल बस्तर जिले के कुधोर पंचायत गांव पहुँचा। गश्ती दल में मुर्दापाल के पुलिसकर्मी भी शामिल थे। यहाँ पुलिस दल द्वारा की गई कार्रवाई का वर्णन इस प्रकार है:

***लूट: दस घरों से:***

1. सीतुराम पुत्र – बोगी, निवासी – टुमडीबाल (चाँदी 6000 रूपये, नगद 15000 रूपये, कपड़े 700 रूपये)
2. सुंदर राम पुत्र – बघरू मुरिया (नगद 800 रूपये)
3. मनघर पुत्र – बघरू मुरिया (नगद 2500 रूपये)
4. बुआल पुत्र – रैतू (2500 रूपये के बर्त्तन)
5. घसिया पुत्र – फसली मुरिया, निवासी– कोटमाटपारा (दरवाजा तोड़ा, नगद 980 रूपये)
6. जमघर पुत्र – हेगरू (नगद 5000 रूपये)
7. कदरू, पुत्र – बुघु (नगद 300 रूपये)
8. गणेश पुत्र – कहरू (नगद 2000 रूपये)
9. रामनाश पुत्र – हडी राउत, निवासी– कोटमेटापारा (3 मुर्गियाँ)
10. बागदेव पुत्र – कमलू (एक बैट्री)

टुमरीबाल गाँव से : (100 तीर, 2 गुलेल)

**मार–पीट**: पाँच महिलाओं की पिटाई

गदरी, पत्नी – स्वर्गीय देशू

गंगाघाई, पत्नी – बुआल

पफूलमति, पत्नी – मनघर

दशरी, पत्नी – स्व. लखन,

मसान, पत्नी – जगनाथ

(***स्रोत*** : बस्तर जिला के पुलिस अधीक्षक से की गई शिकायत)

वहाँ उपस्थिति अन्य लोागों ने भी पुलिस की रेड के इन तरीकों की पुष्टि की। 10 फरवरी 2011 को जगदलपुर में भूमकाल दिवस में उपस्थित लोगों ने भी पुलिस के गश्ती दलों के बारे में ये बातें दोहराईं। इस संदर्भ में यह बात भी उल्लेखनीय है कि जगदलपुर में दिए जाने वाले भाषणों में वन क्षेत्रों से विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, नदी जलों के निजीकरण और कारखानों के लिए इसके रास्तों में बदलाव करने और प्रशासन के कॉरपोरेट क्षेत्र की ओर झुकाव जैसे मुद्दे उभरकर सामने आए।

**गिरफ्तारी**: तीन लोगों के गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया (मनघर, पुत्र – बघरू, बुआल, पुत्र – रैतू, मनकू, पुत्र – फरदून)

बहुत से लोगों ने यह बताया कि पुलिस गश्त के दौरान पुलिस द्वारा युवकों को नियमित रूप से और मनमाने तरीके से पकड़कर ले जाया जाता है। बाद में, जब परिवार के सदस्य उनके बारे में पूछताल करने के लिए जगदलपुर या अन्य जगहों पर जाते हैं तो पुलिस द्वारा यह बताया जाता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

आगे जगदलपुर जेल में बंद लोगों की एक सूची दी गई है। बहुत से लोगों उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे साप्ताहिक हाट गए थे या कुछ सामान खरीदने के लिए नज़दीकी शहर गए थे। जगन्नाथ के अनुसार उसने शहर से कुछ बरतन खरीदे थे। पुलिस ने उन बरतनों को यह कहते हुए जब्त कर लिया कि ये बरतन माओवादियों के लिए खरीदे गए हैं।

जब लोग दवा की दुकान पर दवाई खरीदने जाते हैं तो उन पर माओवादी या उनके समर्थक होने का आरोप लगाया जाता है। यह कहा जाता है कि वे माओवादियों को देने के लिए दवाई खरीद रहे हैं। यहाँ तक की स्थानीय पत्रकारों ने भी यह बताया कि पुलिस इसी तरह से बरताव करती है। हमें यह बताया गया कि इसी कारण से बहुत से आदमी काम की तलाश में पड़ोसी आंध्र प्रदेश में चले गए हैं। बहुत से गाँवों में आदमियों की संख्या में जबर्दस्त गिरावट आई हैं। नारायणपुर जिले के कुछ गाँवों से यह खबर भी आई है कि अभी वहाँ सिर्फ औरतें ही रह रही हैं।

# जेलों की स्थिति, कानूनी मदद तक पहुँच और इसकी लागत

टीम को पूरे छत्तीसगढ़ के जेलों में बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना के रखे जाने के बारे में बताया गया। अधिकांश मामलों में जेलों में बंद तथाकथित 'नक्सली' कैदियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है। इन कैदियों के परिवार के लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इनके खिलाफ किस तरह के आरोप हैं। हमें इस तरह गिरफ्तार किए गए लोगों की पूरी सूची नहीं मिल पाई। लेकिन हमें यह बताया कि जिन इलाकों को माओवादी अपना पूर्वी बस्तर डिविजन कहते हैं, वहाँ से कम–से–कम 500 लोग या तो जेलों में बंद हैं या उनके परिवारवालों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी जाँच–पड़ताल से निम्नलिखित बातें उजागर हुईं :

छत्तीसगढ़ के पाँच जेलों की कुल क्षमता 1987 कैदियों की है। लेकिन यहाँ 5878 सजा–प्राप्त या अंडर–ट्रायल कैदी बंद हैं। इसका मतलब यह है कि जेल में उसकी क्षमता से कुल तीन गुना ज़्यादा लोग हैं। लोगों से की बातचीत से मिली जानकारी से यह पता चलता है कि इन कैदियों में से तकरीबन 90 प्रतिशत कैदी आदिवासी हैं। कुछ नागरिक अधिकार समूहों द्वारा एकत्रित किया गया यह आंकड़ा, पिछले अप्रैल में कुछ अखबारों द्वारा जेल में कैदियों की संख्या के बारे में दिए गए आंकड़ों से कमोबेश मिलता–जुलता है। अखबारों द्वारा दिए गए आंकड़ों से भी यह पता चलता है कि इन जेलों की कुल क्षमता 1952 कैदियों की है, लेकिन यहाँ कुल 5206 कैदियों को रखा गया है। इनमें से 1036 कैदियों पर माओवादी/नक्सलवादी समर्थक/नक्सलियों का हमदर्द होने के आरोप लगे हैं। बस्तर क्षेत्र के जेलों में आदिवासी महासभा के भी 300 कार्यकर्त्ता कैद हैं, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक जन–मोर्चा है।

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनमें से अधिकांश जेलों में उनकी क्षमता से बहुत ज़्यादा संख्या में कैदियों को रखा गया है। जेल प्रशासकों ने भी नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्त्ताओं के सामने इस बारे में अपनी चिंता जताई है। उन्हें यह डर है कि इससे जेल का प्रशासन चौपट हो सकता है और साथ ही ऐसी स्थिति का जेल के कैदियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जेल अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में काम करने वाले हमारे साथियों को यह बताया कि जिन पर माओवादी होने का आरोप है उनके मामले दूसरे जिलों के है और पुलिस विभाग द्वारा कर्मचारियों की कमी के नाम पर सुरक्षा उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता जाहिर करने से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

| **जेल का नाम** | **क्षमता** | **सजायाफ्ता कैदी** | **विचारधीन कैदी** |
|---|---|---|---|
| दांतेचाड़ा | 250 | 4 | 577 |
| कांकेर | 65 | 8 | 217 |
| जगदलपुर | 648 | 573 | 1120 |
| बिलासपुर | 628 | 1398 | 673 |
| दुर्ग | 396 | 627 | 681 |
| **कुल** | **1987** | **2610** | **3288** |
| | **1987** | | **सजायाफ्ता और विचाराधीन : 5878** |

| **जेल का नाम** | **क्षमता** | **कुल कैदल** | **नक्सलवादीध्मायोवादी** |
|---|---|---|---|
| जगदलपुर | 648 | 1700 | 651 |
| दांतेवाड़ा | 250 | 375 | 153 |
| कांकेर | 65 | 231 | 79 |
| दुर्ग | 396 | 1200 | 113 |
| अंबिकापुर | 593 | 1700 | 40 |

***स्रोत : इंडियन एक्सप्रैस (नई दिल्ली संस्करण) 26 अप्रैल 2010***

| जेलों में बंद ग्रामीणों का विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम** | **नाम और उम्र** | **गांव** | **किसने बताया** | **जेल** | **कब से** | **टिप्पणी** |
| 1 | गोदरू पुत्र मट्टा (30–35) | इट्टामेटा पाउल पंचांचत इरपाउं | बालमट्टी पत्नि | जगदलपुर | एक साल | लोहांडीगुउा बाज़ार से गिरफ्तार |
| 2 | गुड्डी | इट्टामेटा पाउल पंचांचत इरपाउं | | जगदलपुर | एक साल | लोहांडीगुउा बाज़ार से गिरफ्तार |
| 3 | गोवरधन पुत्र राम सिंह | हंराकुरेर | मंकू पत्नि | जगदलपुर | 2 साल 7 महीने | मुर्गा बाज़ार से उठाया |
| 4 | कामरेड नंदू | | | जगदलपुर | 3 साल | |
| 5 | कामरेड महेन्द्र | | | जगदलपुर | 3 साल | |
| 6 | जमीला | दक्षिण बस्तर | | जगदलपुर | 21 मार्च 2010 | |
| 7 | 15 लोग | अदेवदा | जगनाथ | जगदलपुर | 2005 | |
| 8 | रामसिंह पुत्र नोहरू (25) | मधुनार | नोहरू | जगदलपुर | 3 साल | छोटे डोंगर में एक मेले से गिरफ्तार |
| 9 | महादेव | मधुनार | | जगदलपुर | | छोटे डोंगर में एक मेले से गिरफ्तार |
| 10 | रामजी सरपंच | मधुनार | | | | छोटे डोंगर में एक मेले से गिरफ्तार |
| 11 | मंदर | मधुनार | | | | गांव से जब वे अपना घर बना रहे थे |
| 12 | राम साई | तुरसामेट्टा पंचायत | | | 1 साल | |
| 13 | कवे | तुरसामेट्टा पंचायत | | | 1 साल | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | रामदेया (60) | काकनार पंचायत | | जगदलपुर | 4 महीने | घर से रात एक बजे उठाया पुलिस ने 3000 रू भी लिए |
| 15 | पांचो राम (40–50) | काकनार पंचायत | | जगदलपुर | 4 महीने | |
| 16 | सुकला | | | | | |
| 17 | सुकालू (30) | | | | | |
| 18 | सुकंदर (25) | | | | | |
| 19 | नीला | | | | | |
| 20 | धरमू (30) | | | | | |
| 21 | मंडू (30) | | | | | |
| 22 | गासू | | | | | |
| 23 | रामसी | | | | | |
| 24 | सानू | | | | | |
| 25 | भगत राम | कोदिली जिला नारायणपुर | | जगदलपुर | 3 साल | जंगल में रास्त दिखाने के लिए घर से उठाया गया |
| 26 | 50 लोग जिनमें से 7 अभी भी जेल में हैं | मदोनार | | जगदलपुर | 2005 | परिवार वकीलों पर 3,24,000रू खर्च कर चुके हैं |
| 27 | जगराम (18) | बदको पंचायत केजम | | | 2 महीने | उसे कोंदागांव बाज़ार से उठाया गया। पुलिस ने कहा कि वह नक्सलवादियों के लिए सामान खरीदने आया था और वह अनाथ है |
| 28 | | कोथ | | | | सायकिल खरीदने बांव गया था |

# माओवादी नेतृत्व के साथ बातचीत

हम दोपहर तकरीबन 3.30 के आस–पास गाँव पहुँचे थे। इस कारण हमें माओवादी नेताओं से बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। हमें जंगल के रास्ते में अंधेरे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। यह इलाका पुलिस और माओवादियों के बीच लगातार टकराव का क्षेत्र भी है। इस कारण टीम के ऊपर रिहा हुए बंघकों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर ले जाने का दबाव बहुत ज़्यादा था। इस के बावजूद टीम ने माओवादियों के पूर्वी या ईस्टर्न कमांड के नेताओं से संक्षेप में बातचीत की।

## बाल सैनिकों का मसला

जब टीम के सदस्यों ने बाल सैनिकों का मसला उठाया तो नीति और रेहमती ने यह स्पष्ट किया कि वे किसी स्थिति में 16 साल से कम के बच्चों को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) में शामिल नहीं करते हैं। इससे कम उम्र के बच्चों को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने यह बताया कि इस छोटे से इलाके में उनके द्वारा चलाए जा रहे वैकल्पिक स्कूल में 65 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय पुलिस उनके स्कूलों पर हमला कर रही है। उनके अनुसार, अक्टूबर 2010 में तिरका गाँव के जनता स्कूल पर सुरक्षा बलों ने हमला किया। स्कूल के शिक्षक बलदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कई दफा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अपने स्कूल की हिफाजत भी करनी पड़ती है। इसी कारण उन्हें कभी–कभार हथियार भी रखने पड़ते है। इसलिए, नीति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि युद्ध की स्थिति में भी 'शिक्षकों' को किसी तरह से परेशान या गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में अंघविश्वास और निरक्षता के खिलाफ संघर्ष करते हुए हम (यानी माओवादी) शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और मेडिकल सुविघाओं के क्षेत्र में कापफी आगे बढ़े हैं। उन्होंने बहुत ही गर्व से यह भी बताया कि उन्होंने गोंडी भाषा में किताबें तैयार की हैं जिसे सौ से ज़्यादा गाँवों में पढ़ा जाता है। इन गाँवों में स्कूलों को नई शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत संचालित किया जाता है।

## लोगों को शिक्षा देने के प्राथमिक मुद्दे और सुरक्षा बलों के कब्जे वाले स्कूलों के खाली कराने के बारे में विचार

युवा माओवादियों ने अपने इलाके में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर हमले और पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों द्वारा स्कूलों पर कब्जा करने की खुलकर निंदा की। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि शिक्षकों को उनके इलाके में आकर बच्चों को शिक्षा देने की इजाज़त नहीं दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि उन पर स्कूलों पर बमबारी करने का आरोप लगाया जाता है। अमूमन यह कहा जाता है कि माओवादी आंदोलन के कारण स्कूल बंद रहते हैं इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। उन पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आदिवासियों के बच्चों को स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने से रोकते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया और सरकार द्वारा नियमित रूप से उनके खिलाफ यह प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 'क्रांतिकारी आंदोलन कभी भी शिक्षा के खिलाफ नहीं रहा है। इसकी बजाय, उसने हमेशा ही शिक्षा को बढ़वा दिया है।'

उनके अनुसार, शिक्षा लोगों की पहुँच से दूर होते जाने का बुनियादी कारण शिक्षा का निजीकरण है जिसके कारण यह सिर्फ अमीर लोगों तक ही सिमट कर रह गई है। इन युवा माओवादियों ने कहा कि उनके क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान और पूर्ण सारक्षता कार्यक्रम पूरी तरह से विफल रहे हैं। और कड़वी सच्चाई यह है कि इस इलाके में पिछले साठ वर्षों में 25 प्रतिशत से भी कम बच्चों को शिक्षा मिली है। यहाँ के लोगों के लिए उच्च शिक्षा दूर का सपना ही है।

इसके लिए उन्हें केन्द्र और राज्य – दोनों ही सरकारों की साम्राज्यवादी शिक्षा नीति को ज़िम्मेदार माना जिसके कारण आदिवासी बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं।

युवा माओवादियों ने शिक्षा और स्कूल के मुद्दे पर अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए टीम को एक परचा भी दिया। सीपीआई (माओवादी) के इस परचे का शीर्षक यह था– 'सुरक्षा बल, स्कूलों और आश्रम स्कूल के हालों को जल्दी से खाली करो'। 'सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए आंदोलन को मजबूत बनाए!', 'स्कूलों को पुलिस स्टेशन और पुलिस कैम्प में मत बदलो, बल्कि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करो।' यह परचा 5 फरवरी को ईस्ट बस्तर डिविजनल कमिटी द्वारा जारी किया गया था। इस परचे में यह आंकड़ा दिया गया था कि अभी दाँतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में तकरीबन 156 से ज़्यादा स्कूलों पर सुरक्षा बलों का कब्जा है। ईस्ट बस्तर डिविजनल कमिटी द्वारा 8 फरवरी 2011 को जारी किए गए परचे में यह दावा किया गया कि बीजापुर और दाँतेवाड़ा जिले में आने वाले कई क्षेत्रों में स्कूलों और आश्रम भवनों का प्रयोग पुलिस कैम्प के रूप में किया जा रहा है। इन क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं : चेरपाल, पमालावी, चेरामाँगी, कादेनार, इंज्राम, मराईगुड्डा, अरानपुर और पलना गाँव। इसके अलावा, पडेरा, पीडीया, टमनेरी, टोरम, इलींगेर, डाडली और डाबाकुंटा में स्थित आश्रमों को पुलिस या राहत शिविरों के पास ले जाया गया है। इस कारण, जो गाँववाले पुलिस स्टेशन के आस–पास नहीं फटकना चाहते हैं, वे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजने में हिचकने लगे हैं। उनके अनुसार, बासागुडा, उसूर, गंगलूर, मिरटुल, कुतरू, भोपालपट्नाम, कोंटा और किस्तारम जैसे ज़्यादा अंदर बसे गाँवों में स्कूलों ने काम करना बंद कर दिया गया है। अब शिक्षक इन स्कूलों में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि पुलिस बलों के द्वारा यह शक किया जाता है कि यहाँ आने वाले शिक्षक नक्सलियों से हमदर्दी रखते हैं।

परचे में यह भी बताया कि शिक्षक गाँवों में नहीं रह पाते हैं क्योंकि पुलिस ने उनके लिए बनाए गए घरों पर भी कब्ज़ा जमा लिया है।

परचे में यह भी दिखाया गया है कि शिक्षा व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हुआ है। एक ओर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने स्कूल पर कब्ज़ा जमा लिया है, दूसरी ओर, जनताना सरकार द्वारा शुरू किए गए स्कूलों पर भी हमले किये गये हैं। परचे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूलों से सुरक्षा बलों हटाए जाने के लिए दिए गए आदेश का भी समर्थन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि 'हमारे देश की सबसे ऊँची अदालत ने नंदिनी सुंदर, रामचन्द्र गुहा और मनीष कुंजाम द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 जनवरी 2011 को छत्तीसगढ़ सरकार को यह आदेश दिया था कि वह चार महीने के भीतर बस्तर क्षेत्र के उन सभी स्कूलों और आश्रमों को खाली करे, जहाँ पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने अपने कैम्प बना रखे हैं।' 'ऐसी स्थिति में जब अदालत के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, तो हम सभी सामान्य लोगों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और आम जनता के पक्ष में खड़े रहने वाले सभी लोगों का यह आह्वान करते हैं कि वे अदालत के आदेश का पालन करवाने के लिए आगे आएँ।'

इस परचे में स्कूल न आने वाले शिक्षकों से भी यह अपील की गई है कि वे शिक्षक के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करें और नए सत्र में स्कूल आकर बच्चों को पढ़ाएँ। इसमें लोगों से भी यह अपील की गई है कि जब शिक्षक पढ़ाने के लिए आएँ, तो वे उनके साथ पूरा सहयोग करे। परचे के अंत में यह कहा गया है कि 'हम लोगों से यह अपील करते हैं कि यदि शिक्षक नहीं आते हैं तो वे ऊँचे अधिकारियों के सामने विरोध–प्रदर्शन करें और शिक्षकों को स्कूल में भेजने की माँग करें।'

# संचार माध्यमों के सरोकार

जगदलपुर जाते हुए, कांकेर के पास, कुछ पत्रकारों ने हमसे संपर्क किया। वे चाहते थे कि हम कुछ देर कांकेर रुकें और स्थानीय पत्रकारों से मिलें जो कि छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य हैं। यह संस्था छत्तीसगढ़ कामकाजी पत्रकारों की संस्था है। ये पत्रकार प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए गलत कामों और न किए गए ज़रूरी कामों के बारे में विरोध प्रकट करते रहे हैं। उन्होंने अपनी संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री को दिए गए अपने एक ज्ञापन की कॉपी हमें दी। बिना तिथि के इस ज्ञापन में अन्य चीज़ों के अलावा हाल में दो पत्रकारों, बिलासपुर में सुनील पाठक और चौरा में उमेश चौहान की हत्याओं का भी ज़िक्र था। इसमें एक केन्द्रीय बल के स्थानीय कमांडर के हाथों, एनआरके पिलैई, अनिल मिश्रा और यशवंत यादव के साथ बदसलूकी का भी ज़िक्र था। इसमें यह भी उल्लेखित था कि किस तरह से स्थानीय भाजपा प्रशासन ने मां दांतेश्वरी स्वाभिमान मंच (सलवा जुडूम के कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया एक नया मंच जो कि सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमलों के लिए कुख्यात है और जिसके एक नेता की बलात्कार और हत्या के एक मामले में तलाश है) के कार्यकर्ताओं को उकसाया, जिन्होंने फिर इन पत्रकारों को चेतावनी देते हुए पोस्टर छापे कि वे अपने तौर तरीके बदलें अन्यथा उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।

हमारे साथ गए कुछ पत्रकारों ने हमें बताया कि अपहृत पुलिसवालों को छोड़े जाने के माओवादियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम के वीडियो बिना किसी काट छांट के नारायणपुर में लोकल इंटेलीजेंस यूनिट तक पहुंच गए होंगे और वे सभी ग्रामीण जो बैठक में बैठे थे, पहचान लिए गए होंगे। अगर उनमें से कोई पास के हाट में या घर या खेत के काम से बाहर जाएगा, तो उसके गिरफ्तार होने का खतरा है। हमें बताया गया कि पंद्रह दिनों के अंदर अंदर हमें ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलने लगेंगी। हमें नहीं मालूम कि वास्तव में ऐसा होगा या नहीं। परन्तु यह तथ्य कि पत्रकारों को ऐसी आशंका है और उन्होंने ऐसा बताया यह साबित करता है कि पुलिस अंदरूनी गांवों में किस तरह से कहर ढ़ा रही है और यह भी कि स्थानीय मीडिया को इसकी खबर है।

हमारे पूछने पर कि वे इस सब के बारे में लिखते क्यों नहीं हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं और मुद्दों के बारे में रिपोर्ट दर्ज़ करने पर कोई प्रतिबंध है, हमें बताया गया कि पत्रकारों और खासतौर पर अनियमित पत्रकारों को कई एक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें धमकियाँ मिलती हैं, कुछ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज़ हो चुकी हैं। साथ ही प्रकाशक और संपादक इन पत्रकारों के साथ खड़े होने में अनिच्छुक होते हैं क्यों कि वे उनके साथ नियमित रूप से काम नहीं कर रहे होते। और जहाँ तक अखबारों और टीवी चैनलों द्वारा नियुक्त पत्रकारों का सवाल है उनके प्रबंधक उन्हें ऐसी खबरें देने से हतोत्साहित करते हैं। एक पत्रकार ने हमें बताया, 'आप मीडिया हाउसिस से यह कैसे उम्मीद करते हैं कि वे ऐसी रिपोर्ट छपने देंगे जबकि वही मीडिया हाउस विशाल बिजली घर और अपनी खुद की स्पोंज लोहे की मिलें स्थापित कर रहे हैं। इस परिस्थिति में वनवासी चेतना आश्रम को ध्वंस्त कर देने और हिमांशुजी को बाहर खदेड़ देने और उनके कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसा देने से क्षेत्र में से स्वतंत्र आवाज़ें न के बराबर हो गई हैं। स्थानीय मीडिया के लिए जीवित रह पाने की अनिवार्य शर्त है कि आम लोगों तक सूचनाएं न पहुँचें।

इसलिए जब उन्हें गांव वालों के अपने अनुभवों की कहानियाँ उनकी जुबानी सुनने का मौका मिला तो कुछ एक को छोड़कर, स्थानीय मीडिया ने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया।

इस पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है क्योंकि अन्य सभी चीज़ों के साथ साथ क्षेत्र से खबरों के बाहर प्रसारित होने पर भी रोक है यानी कि एक

किसम का खबरों का प्रबंधन हो रहा है। पत्रकारों के संगठनों और एडिटर्स गिल्ड ने इस संबंध में कोई भी सरोकार उजागर नहीं किया है कि द्वंद के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के भी काम करने के कुछ अधिकार होते हैं, खासकर तब जब उनपर हमला हो।

अंत में वे पत्रकार श्री केजी कन्नाबिरन को श्रद्धांजली देना चाहते थे और वे इस बात से काफी निराश थे कि क्षेत्र के या उत्तर के किसी भी अखबार ने उनके लिए श्रद्धांजली प्रकाशित नहीं की।

## मुख्य मंत्री के साथ रायपुर में संवादाता सम्मेलन

12 फरवरी 2011 को रायपुर में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पुलिसवालों को सफालतापूर्वक छुड़ा लिए जाने की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री रमन सिंह और मानवाधिकार दल के सदस्य स्वामी अग्निवेश, कविता श्रीवास्तव और डॉ वी सुरेश उपस्थित थे।

संवाददाता सम्मेलन में मुख्य मंत्री ने पुलिसवालों को छुड़ाने में मानवाधिकार दल की भूमिका को स्वीकारा और इसकी प्रशंसा की।

दल की तरफ से बोलते हुए स्वामी अग्निवेश ने युद्धविराम सुनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने लिए कि मानवाधिकार दल को अपृहित पुलिस वालों को छुड़ाने के लिए अबूझमाड़ के जंगलों में अपने दौरे के दौरान किसी अड़चन या परेशानियों का सामना न करना पड़े, छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री की सराहना की। इसके साथ उन्होंने कहा कि जहाँ इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि माओवादियों ने पुलिस वालों को बिना शर्त रिहा कर दिया है, वहीं यह भी उतना ही ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस की ज़्यादतियों और सत्ता के दुरुपयोग, झूठे मामलों में फंसाए जाने, छोटे मोटे और महत्वहीन मामलों में लंबे लंबे समय तक जेलों में बंद रखे जाने आदि से संबंधित स्थानीय आदिवासियों की न्यायसंगत शिकायतों पर ध्यान दें। सम्मेलन में मानवाधिकार दल ने मुख्यमंत्री के सामने मुख्यतः तीन मांगे रखीं।

1. पुलिस प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन गांव वालों के खिलाफ जहाँ पुलिस वालों को छोड़े जाने की कार्यक्रम हुआ था, या उन आदिवासियों के खिलाफ जिन्होंने पुलिस की ज़्यादतियों, गिरफ्तारियों आदि की शिकायत की है, किसी तरह की कोई बदले की कार्यवाही न करे।
2. सरकार इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता रखते हुए क्षेत्र में माओवादियों के साथ मिले होने या उनके संपर्क में होने के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार हुए आदिवासियों और अन्य लोगों के मामलों पर पुर्नविचार करे और उन सभी को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू करे जिन्हें मामूली अपराधों के आरोपों के आधार पर बंद रखा गया है। यह विनती की जा रही है कि उन सभी आदिवासियों को जो बिना किसी अपराध के जेलों में बंद हैं रिहा करा जाए।
3. सरकार को शांति स्थापित करने की प्रक्रिया के प्रयास के लिए अपनी तरफ से सक्रिय रूप से यह माओवादियों के साथ बातचीत की लंबी प्रक्रिया की शुरूआत करनी चाहिए। यह प्रयास शुरूआत में बिना किसी शर्त के होना चाहिए ताकि सभी संबंधित दल बातचीत के लिए खुले व पारदर्शी रूप में और भागीदारी के साथ सामने आ सकें। स्वामी अग्निवेश ने कहा कि इस तरह की युद्धविराम की ऐसी खुली और पारदर्शी प्रक्रिया में वे पूरा सहयोग करेंगे।

अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर विचार करने के लिए और उन आदिवासियों को छोड़े जाने, जिनके खिलाफ किसी घटना में शामिल होने का आरोप नहीं हैं, के मुद्दे पर विचार करने के लिए, एक समीक्षा समिति का गठन करेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अपनी तरफ से सरकार शांति वार्ता के मुद्दे पर विचार करेगी और जवाब देगी।

## *नरायणपुर में आर्मी का प्रस्तावित ट्रेनिंग स्कूल*

सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार की कैबिनेट कमिटी ने अबूझमाड़ वनक्षेत्र के किनारे नारायणपुर में एक प्रशिक्षण केन्द्र बनाने और युद्धाभ्यास का काम शुरू कर दिया है। इस का क्रियान्वन क्षेत्र के जंगलों को साफ किए बिना नहीं हो सकता। हालांकि ऐसी खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ज़मीन के आवंटन के लिए शर्तें रखी हैं – जैसे कि इसके लिए पेड़ों को नहीं काटा जाएगा और लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा – ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक अखबार ने आर्मी के नज़रिये के बारे में लिखा, 'इन घने जंगलों में ज़्यादा युद्धाभ्यास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कुछ इलाके को साफ़ न कर दिया जाए'।[1] यह याद रखा जाना चाहिए कि सबसे अच्छी स्थिति में भी यानी कि अगर आर्मी माओवादियों के विरुद्ध लड़ाई में नहीं उतरते, तो भी उस जगह में उनकी उपस्थिति उग्रवाद विरोधी अभियान में आर्मी का प्रभुत्व जमाने का हिस्सा है। और वही टकराव वाले क्षेत्र में आर्मी को लाने के पीछे छत्तीसगढ राज्य सरकार की यही मंशा है।

संचार माध्यमों में इस प्रस्तावित प्रशिक्षण सुविधा के आकार और फैलाव के बारे में अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह 500 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, द हिन्दू के अनुसार इसका क्षेत्रफल 600–900 वर्ग किलोमीटर होगा (पहले की तारीख में केवल 100 एकड़) और इंडियत एक्सप्रैस और जनसत्ता (रायपुर संस्करण) के अनुसार यह क्षेत्रफल 625 वर्ग किलोमीटर (पहले की तारीख में केवल 300 वर्ग किलोमीटर)।[2] प्रशिक्षण केन्द्र नारायणपुर से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में और धैदाई के पश्चिम में स्थित होगा[3] इससे पता चलता है कि प्रशिक्षण केन्द्र अबूझमाड़ में स्थित होगा।

अखबारों की खबर के अनुसार हालांकि राज्य सरकार आर्मी को ज़मीन सौंप चुकी है, यह साफ़ नहीं है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है यानी कि जंगल की ज़मीन, जंगल से अलग काम के लिए बिना फॉरेस्ट ऐडवाज़री कमिटी की इजाज़त के (जैसा कि फॉरेस्ट कंर्ज़वेशन ऐक्ट 1980 के अनुसार) कैसे दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के वन विभाग की वैबसाइट में वन से संबंधित लंबित प्रस्तावों की सूची में ऐसा कोई प्रस्ताव शामिल नहीं है।

इसके अलावा संविधान के पांचवें श्डयूल के अनुसार, पंचायती एक्सटेंशन ऑफ़ श्डयूल एरिया (1996) और फॉरेस्ट राइटस ऐक्ट (2006) के उल्लंघन के अलावा इस ट्रनिंग कैंप के प्रस्ताव में मध्य भारत में आर्मी के घुसने की सूचना निहित है। 16 जुलाई 2010 को भारतीय आर्मी चीफ़ ने अपने वरिष्ठ अफसरों को बताया कि वे नक्सलवाद से लड़ाई में घुसने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें ... 'ऐसा छः महीनों, एक साल या दो साल में हो सकता है परन्तु अगर हमें राजसत्ता के एक हिस्से के रूप में अपना महत्व कायम रखना है तो हमें वह करना पड़ेगा जो देश हमसे चाहता है'।

1 इंडियन एक्सप्रैस, 2 जनवरी 2011

2 टाइम्स ऑफ इंडिया, 10 जनवरी 2011, द हिन्दु, 31 जनवरी 2011 और 10 जनवरी 2011, इंडियन एक्सप्रैसए 2 जनवरी 2011, और जनसत्ता 9 जनवरी 2011 और 16 फरवरी 2011

3 टाइम्स ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2011

4 इंडियन एक्सप्रैस, 17 जुलाई 2010

## निष्कर्ष

हालांकि हम यह समझते हैं कि बंधक बनाने की कार्यवाही के पीछे एक तरह की हताशा छिपी हुई है फिर भी इंसानों को किसी भी किसम के सौदे के लिए इस्तेमाल किए जाने का हथकंडा खतरों से भरा है। सीपीआई (माओवादी) द्वारा बंधक बनाए जाने की तीन हाल की घटनाओं में से किसी में भी कुछ भी अप्रिय घटित नहीं हुआ और बंधकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता था। सीपीआई (माओवादी) जैसे आंदोलन के लिए जो यह दावा करते हैं कि वे लोगों के हाथों में सत्ता और गौरवमय जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं यह और भी महत्वपूर्ण है कि वे जीवन की कीमत को समझें। परन्तु साथ ही माओवादियों की शिकायतों की वैधता और उनके द्वारा जिस तरह के उपायों की मांग की जा रही है उन्हें नकारा नहीं जा सकता। उनकी मांग बंधकों के बदले किसी गिरफ्तार नेता या किसी आरोपी को छुड़ाने जाने जैसी आम मांग नहीं है। एक तरफ तो सीपीआई (माओवादी) पार्टी द्वारा बंधक बनाने का कदम सुरक्षा बलों द्वारा किसी संदिग्ध या आरोपी से आत्मसमर्पण करवाने के लिए उसके निकट संबंधी को हिरासत में ले लेने जैसा ही है। पर दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। हाल की बंधक बनाने की तीन घटनाओं में सीपीआई (माओवादी) की मांगें मुख्यतः पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हज़ारों आदिवासियों के छोड़े जाने, देश के कानूनों के बेहतर क्रियान्वन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के पालन, सुरक्षा बलों द्वारा बेहतर व्यवहार, अपराधों में लिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही, गांव वालों को झूठे आरापों में गिरफ्तार करे जाने या बंदी बनाए जाने के खिलाफ, जेलों के क्षमता से अधिक भरे होने, पुलिस, सुरक्षा बलों आदि के अत्याचारों के शिकार लोगों को मुआवज़ा दिए जाने, आदिवासियों का अलगाव रोकने के लिए कानूनों का क्रियान्वन आदि मुद्दों पर ही केन्द्रित रही हैं। ये वे मुद्दे हैं जिन्हें जनवाद पर विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति या संस्था उठाती है। उड़ीसा में भी सीपीआई (माओवादी) द्वारा रखी गई 14 मांगों में से 12 मांगें 'विकास' के आदिवासियों पर हो रहे असर से संबंधित थीं और केवल दो ही मांगें अपने सहयोगी माओवादियों के छोड़े जाने से संबंधित थीं। इस मामले में भी उन्होंने अपने केवल उन दो काडरों को छोड़े जाने की मांग की जिनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं हैं। बस्तर में रखी गई 11 मांगों में से एक भी किसी सीपीआई (माओवादी) नेता को छोड़े जाने से संबंधित नहीं थी, बल्कि सभी इस संबंध में थीं कि आदिवासियों को नुकसान न पहुँचे। हमें याद रखना चाहिए कि न्यायसंगत मांगें जब अवैध तरीकों से भी उठाई जाती हैं तो वे उन तरीकों को न्यायसंगत नहीं बना देतीं। परन्तु साथ ही इससे मांगें अवैध नहीं हो जातीं क्योंकि ये शिकायतें और इन्हें दूर करने के सुझाए गए उपाय लोगों के न्यायसंगत अधिकार हैं।

जब हम छत्तीसगढ़ में पुलिस के सिपाहियों और उसके कुछ ही समय बाद मल्कानगिरी के कलैक्टर के अपहरण के मामलों में प्रशासन और मीडिया की प्रतिक्रिया को देखते हैं तो हमारा सामना एक कड़वे और निष्ठुर सच से होता है। पाँच पुलिस वालों के अपहरण पर बहुत ही थोड़ा ध्यान गया। परन्तु बस्तर में पुलिस ने सीपीआई (माओवादी) के पोस्टरों को, जिनमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने यह अपहरण क्यों किए हैं और उनकी मांगें क्या हैं, हटाने और फाड़ने में अपना पूरा ज़ोर लगा दिया। दूसरी ओर कलैक्टर के अपहरण पूरी तरह से अलग तरह की प्रतिक्रिया हुई। पूरा राष्ट्रीय मीडिया मल्कानगिरी जा पहुँचा और उसे पहली बार यह पता चला कि उड़ीसा में आदिवासी हैं, जिन्हें 40 से 50 साल पहले उड़ीसा के मल्कानगिरी और कोरापुट जिलों में चलाई गई परियोजनाओं से विस्थापित करने के बाद पुनःवासित नहीं किया गया है!

सिलेरू नदी (जिसे अपने दंडकारण्य पहाड़ों

में अपने उदगम स्थान पर मचकुंड नाम से भी जाना जाता है) पर पिछली सदी के सत्तरवें दशक में बने बांध और बालीमेला जलाश्य से 150 डूब गए गांवों में करीब 25,000 लोग विस्थापित हुए थे। जनता को यह भी पता चला कि नारायणपटना में (कोरापुट) जहाँ 629 आदिवासियों को माओवादी होने के नाम पर गिरफ्तार किया गया था, आदिवासी गैर आदिवासियों द्वारा पाँच पीढ़ियों पहले हथिया ली गई अपनी ज़मीन को, जिस पर आज वे उन्हीं गैरआदिवासियों के बंधुआ मज़दूरों जैसे काम कर रहे हैं, वापस हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कि जब उन्होंने खुद को चासी मुलिया आदिवासी संघ के बैनर तले संगठित किया और अपनी ज़मीनें वापस हासिल करने के लिए अहिंसक तरीके से अपना संघर्ष शुरू किया तो सालों साल गुज़रते गए और उन्हें इसके बदले में देखने को मिली उदासीनता, लाठियाँ, गोलियाँ, गिरफ्तारियाँ और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया जाना। लोग क्या करें? यह ज़मीनी हकीकत, जो नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को सालों साल से मालूम है क्या किसी और तरीके से आम लोगों को मालूम पड़ सकती थी? क्या राज्य की सरकार किसी और तरीके से इनकी मांगों को मानने की इच्छा शक्ति दर्शा सकती थी? क्या किसी और तरीके से चासी मुलिया आदिवासी संघ के 629 आदिवासी सदस्य, जिन्हें झूठे मामलों में गिरफ्तार किया गया है, कभी सरकार के सपने में भी आ सकते थे और जल्दी से जल्दी उन्हें छोड़े जाने का उनका मामला किसी समिति को सौंपा जा सकता था? अगर यह सब अपहरण के बिना संभव है तो अभी तक यह सब क्यों नहीं हुआ था? यह बहुत ही शौचनीय है कि कांग्रेस, भाजपा और कॉरपोरेट द्वारा संचालित मीडिया ने अपहरण की मांगों को लेकर हुए समझौते को लेकर अपना विरोध ज़ाहिर किया, जबकि वे आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को हमेशा से नज़रअंदाज़ करते रहे हैं। वही मांगें जो कि माओवादियों ने अपहरण द्वारा उजागर करीं।

मल्कानगिरी के अपृहित कलैक्टर आर वी कृष्णा और जूनियर इंजीनियर पबित्र मोहन माझी को छुड़ाने के लिए उड़ीसा सरकार और माओवादियों द्वारा नियुक्त बिचौलियों के बीच हुई बातचीत और अक्टूबर 2009 में पश्चिम बंगाल में जहाँ ओ सी अतिन्दरनाथ दत्त नाम के पुलिस ऑफीसर को माओवादियों द्वारा 13 आदिवासी महिलाओं, के बदले में (जिन्हें एक साल से ज़्यादा से युद्ध छेड़ने के आरोप में बंद रखा गया था और जिनमें एक 70 साल की दादी भी थी), छोड़े जाने के मामले में हुई बातचीत को ध्यान से देखने और परखने की ज़रूरत है। बहुत से उपेक्षित क्षेत्र आज टकराव क्षेत्र बन गए हैं जहाँ कानून का शासन लागू नहीं होता और जहाँ माओवादियों से निपटने के नाम पर लोगों को पुलिस के राज से जूझना पड़ता है। इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारा संविधान चाहे कुछ भी कहता रहे यहाँ कुछ लोग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ कम। आम देशवासियों की गैरकानूनी गिरफ्तारियाँ और सालों साल बंद रहना और उनके परिवार वालों की पीड़ा, अपृहित पुलिस वालों और उनके परिवारों की पीड़ा की तुलना में कोई माने नहीं रखती। पर इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पाँच अपृहित पुलिस वालों को छुड़ाने के लिए बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग इतने वरिष्ठ नहीं थे कि इन्हें छुड़ाने के लिए प्रशासन कोई कदम उठाना ज़रूरी समझता। और शायद इसी कारण से स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया ने भी माओवादियों द्वारा उठाई गई मांगों को लेकर पूरी तरह से उदासीनता बनाए रखी। इसके विपरीत उड़ीसा सरकार ने तुरंत बातचीत शुरू की क्योंकि यहाँ सवाल आईएएस केडर के एक ऑफीसर का था और शायद इसीलिए उड़ीसा सरकार ने माओवादियों की मांगों पर ध्यान दिया वह भी तब जबकि राष्ट्रीय सरकार ने ऐसा न करने की सलाह दी थी! दोनों ही मामलों में मांगे पूरी तरह से न्यायसंगत, संवैधानिक

और वैध थीं। इससे भी यह पता चलता है कि भारत में टकराव के क्षेत्र और खासकर बस्तर (छत्तीसगढ़) ऐसे क्षेत्र बन गए हैं जहाँ संविधान के अनुसार कुछ नहीं होता और जहाँ विधी विधान की जगह मनमाने ढ़ंग से काम होते हैं। 'ऑपरेशन ग्रीनहंट' द्वारा पैदा की गई यह कानून रहित व्यवस्था बहुत ही चिंताजनक है।

अगर हम अपहरण की राजनीति को गलत मानते हैं तो क्या अपने खराब हालातों, अपनी वैध मांगों के लिए संघर्ष करने पर या फिर सिर्फ दूर दराज के गांवों में रहने के कारण लोागें को जेलों में बंद किए जाने को 'कानूनी' रूप से स्वीकृत अपहरण नहीं मानना चाहिए। इसी तरह से अगर माओवादियों द्वारा अपहरण करना गलत है परन्तु उनके द्वारा उठाई गई मांगें सही हैं तो क्या हमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सरकार इन मांगों को पूरा करे। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि सरकार कानून के शासन को कायम रखे और इसे एक मनमाने ढ़ंग से तोड़ मरोड़ देने वाला सिद्धांत न बना दे? हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि सरकार अपने मनमाने तौर तरीकों को छोड़ कर संविधान के अनुसार चले? हम सीपीआई (माओवादी) पार्टी को कैसे राजी करें कि वह अपहरण करने जैसे चरम तरीकों का सहारा न ले जिनसे उनकी वैध और न्यायसंगत मांगों पर भी आंच आती है?

हम संचार माध्यमों से यह गुजारिश करना चाहते हैं कि वह एक संवेदनाहीन और अमानवीय प्रशासन के हाथों की कठपुतली न बन जाए और लोगों की वास्तिवक ज़मीनी हकीकत और उनके सरोकारों को बिना डरे आम जनता के सामने उजागर करने की हिम्मत दिखाए। उदाहरण के लिए केवल एक लोगों के हितैशी कलैक्टर के अपहरण से ही राष्ट्रीय मीडिया मल्कानगिरी पहुँचा। इससे मीडिया के बारे में क्या पता चलता है? मीडिया को ऐसे क्षेत्रों का दौरा करने और यहाँ के हालातों की खबरें देने की सुध इस सनसनीखेज घटना से पहले क्यों नहीं आई? क्या उड़ीसा के आदिवासियों में किसी को तब तक कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि किसी सरकारी अधिकारी के साथ कुछ सनसनीखेज घटित न हो? इन मुद्दों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता और इन पर हर मंच पर बात होनी ज़रूरी है, मानवाधिकार आंदोलन और सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत में भी। क्योंकि दांव पर केवल एक टकराव की स्थिति का समाधान ही नहीं है बल्कि जनतंत्र और जनतांत्रिक प्रक्रिया के जीवित रहना भी है।

# छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ


प्रदेश कार्यालय : [illegible] पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) फोन : 0771-4030351
संबद्ध IFWJ नई दिल्ली, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत (क्रमांक) पंजीकृत व्यवसायिक संघ द्वारा पंजीकृत/पंजीयन क्र. 163

अरविन्द अवस्थी, प्रदेश अध्यक्ष, मो. : [illegible]
प्रवीर सिंह चंदेशा, प्रदेश महासचिव, मो. : [illegible]
श्री शंकर पाण्डेय, राष्ट्रीय सचिव, मो. : [illegible]
श्री परमानन्द पाण्डेय, राष्ट्रीय महासचिव, मो. : [illegible]
श्री के. विक्रमराव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मो. : [illegible]


क्रमांक ________ दिनांक ________

प्रति,

**माननीय श्री रमन सिंह जी**

मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

सादर विदित हो कि प्रदेश में मीडिया कर्मियों के उपर हो रहे लगातार हमला से प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लगातार पत्रकार साथियों के साथ मारपीट, गाली गलौच, दुर्व्यवहार, झूठा अपराध पंजीबद्ध कराना, कातिलाना हमला से लेकर दो पत्रकार साथियों की हत्या तक कर दी गई। जिससे पत्रकार जगत स्तब्ध है और अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित भी प्रजातंत्र का प्रहरी होने के नाते पत्रकार साथी समाचार संकलन व प्रसारित कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने जान को भी जोखिम में डालने से परहेज नहीं करते। लेकिन इन घटनाओं ने मीडिया जगत के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक आम आदमी की तरह पत्रकारों की सुरक्षा का भी दायित्व सरकार की है जो प्रदेश में भली भांति नहीं हो पा रही है। बिलासपुर की पत्रकार साथी सुनील पाठक की हत्या के तुरंत बाद दूसरे पत्रकार साथी उमेश राजपूत की निर्मम हत्या होना सरकार के गृह विभाग के उपर उंगली उठाने मजबूर कर रही है।

**उपरोक्त संदर्भ में निम्न घटनाओं पर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे :**

1. विगत दिनों दंतेवाड़ा में एक्सपायरी डेट की दवाईयों के वितरण के समाचार संकलन करते समय पत्रकार साथियों के साथ वहां के अधिकारी द्वय, एसडीओपी एवं एसडीएम ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की, बदसलूकी करते हुए धमकी दी थी।
2. रायपुर में एक महिला पत्रकार साथी के साथ प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था।
3. धरमजयगढ़ में पत्रकार साथी नारायण बाइन का समाचार प्रकाशित करने से चिढ़ कर स्थानीय राजनेता के पुत्र ने फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा दिया था।
4. सारंगगढ़ के पत्रकार साथी भरत अग्रवाल वानिकी विभाग में किसानों के बुलाने पर (किसानों को आलू बीज नहीं दी जा रही थी जिससे किसान परेशान थे) समाचार संकलन कर रहे थे, उनके विरूद्ध उक्त अधिकारी ने फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराया।

5. कांकेर के पत्रकार साथी अनुपम अवस्थी को अराजकतत्वों ने पत्रकारिता छोड़ने के लिए जान से मारने की धमकी दी।
6. बिलासपुर के पत्रकार साथी सुनील पाठक की निर्मम हत्या कर दी गई।
7. छुरा के पत्रकार साथी उमेश राजपूत की हत्या उनके घर के सामने की गई। जबकि उनके द्वारा प्रकाशित समाचार को लेकर एक महिला कर्मी के द्वारा दी गई धमकी के विरूद्ध कार्रवाई करने पत्रकार साथी ने थाना छुरा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी पर पुलिस विभाग ने पंद्रह दिनों के बाद भी जांच करना आवश्यक नहीं समझा।
8. कोमाखान (जिला महासमुंद) के पत्रकार साथी दिलीप शर्मा द्वारा टोनही प्रताड़ना के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने पर थाने के विरूद्ध समाचार प्रकाशित किया गया। जिसको लेकर वहां के चौकी प्रभारी पत्रकार साथी को लगातार धमकी दी जाती रही। जिसकी शिकायत एसपी महासमुंद से की गई थी।
9. कवर्धा जिला अंतर्गत दसरंगपुर पुलिस चौकी के प्रभारी ने दो व्यक्तियों के विवाद पर गवाह बनने के लिए वहां के दैनिक भास्कर के पत्रकार साथी जितेन्द्र केसरी से आग्रह किया बाद में चौकी प्रभारी उसी पत्रकार साथी का नाम उस विवाद के प्रकरण में जोड़कर पत्रकार साथी को प्रताड़ित किया जा रहा है।
10. दंतेवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार श्री एन आर के पिल्ले, अनिल मिश्रा, यशवंत यादव को कोण्टा समाचार संकलन के लिए जाते समय कमाण्डर द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए धमकी दी गई।
11. दंतेवाड़ा के पत्रकारों के विरूद्ध वहां के प्रशासनिक अधिकारी के सह पर भाजपा नेता व स्वाभिमान मंच के द्वारा पत्रकारों को मारने की धमकी भरा पर्चा बांटा गया था।
12. भिलाई के होटल में बीआईटी कालेज के छात्रों द्वारा अश्लील हरकत की जा रही थी जिसके समाचार संकलन कर रहे पत्रकार साथियों के साथ उक्त छात्रों ने मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट पत्रकार साथियों ने पुलिस विभाग से की लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
13. प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को पीड़ित किया जाना आम बात हो गई है।

उपरोक्त संदर्भ में आपसे सादर अनुरोध है कि प्रदेश में पत्रकार साथियों को पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए एवं पत्रकार साथी सुनील पाठक व उमेश राजपूत के हत्या की उच्चस्तरीय जांच कराने का कष्ट करें। यह भी निवेदन है कि असमय व दुर्घटना में दिवंगत होने वाले पत्रकारों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता हेतु पत्रकारों को शामिल करते हुए विशेष कमेटी का गठन करवाने का कष्ट करें.

कमल शुक्ला
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ
[illegible]-जिला

प्रतिलिपि - श्री स्वामी अग्निवेश

शंकर पाण्डेय

अरविंद अवस्थी
प्रदेश अध्यक्ष

## हम मांग करते हैं

### सीपीआई (माओवादी) पार्टी से

किसी भी परिस्थिति में लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डाल कर मांगें मनवाने के लिए अपहरण करना स्वीकार्य नहीं है। इस तरीके को तुरंत रोकना चाहिए।

### सरकार से

1. 'आपरेशन ग्रीन हंट' को तुरंत रोका जाए।
2. सीपीआई (माओवादी) पार्टी से संबंध होने के आरोप के आधार पर बंद गांववालों के मामलों पर तुरंत पुनर्विचार हो और इन लोगों को छोड़ा जाए।
3. प्रचंड विधवंस और लूट को रोका जाए और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही हो।
4. सुरक्षा बलों द्वारा गांव वालों के खिलाफ की गई हिंसा, उनके पैसों, सामान और उनकी संपत्ति के लूटे जाने की शिकायतों की तुरंत न्यायिक जांच हो।
5. सीपीआई (माओवादी) पर से प्रतिबंध हटाया जाए जिससे गांव वाले आज़ादी से बाज़ार जा सकें, सरकारी अधिकारियों के पास अपनी शिकायतें दर्ज़ करवा सकें और अपनी शिकायतों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध प्रकट कर सकें।
6. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशनुसार गांव के स्कूलों में से पुलिस और सुरक्षा बलों को तुरंत हटाया जाए।
7. विकास के नाम पर लोगों का विस्थापन बंद किया जाए।
8. अबूझमाड़ का वन क्षेत्र भारतीय सेना को सौंपने के निर्णय पर पुनःविचार हो क्योंकि यह संविधान के पांचवें श्डयूल, पंचायत एक्सटेंशन टू श्डयूल एरिया ऐक्ट 1996 और फॉरेस्ट राइट्स ऐक्ट 2006 के खिलाफ है।

---

**प्रकाशक** : सचिव, पीपल्स यूनियन फ़ॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.)
**मुद्रक** : हिन्दुस्तान प्रिंटर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली 110032
**प्रतियों के लिए** : डॉ. मौशमी बासु, ए – 6/1, अदिति अपार्टमेंट्स, पॉकेट डी, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058
**सहयोग राशि** : 10 रूपये
**ई मेल** : pudrdelhi@yahoo.com
**वेबसाइट** : www.pudr.org